

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक: एफ4/मु./वित्त/नियम/25/2016/5426


दिनांक: 19.09.2016

परिपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी एवं परिवार निःशुल्क यात्रा पास (सरलीकृत) विनियम, 1985 के अन्तर्गत कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों को परिचय पत्र जारी किये जाने हेतु परिपत्र क्रमांक एफ4(13)/वित्त/नियम/25/06/7681 दिनांक 14.11.2006 में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये हुए हैं।

परन्तु यह जानकारी में आया है कि कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों को परिचय पत्र जारी करते समय उक्त परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों की पालना नहीं की जाकर परिचय पत्र जारी किये जा रहे हैं।

अतः समस्त इकाई प्रभारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त विनियम के अन्तर्गत पारिवारिक सदस्यों हेतु परिचय पत्र जारी करते समय परिपत्र संख्या एफ4(13)/वित्त/नियम/25/06/7681 दिनांक 14.11.06 में वर्णित दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करावें।



(परमेश्वरी चौधरी)

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक: एफ4/मु./वित्त/नियम/25/2016/5426

दिनांक: 19.09.2016

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 2 कार्यकारी निदेशक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 3 महा प्रबन्धक(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 3 उप महा प्रबन्धक ()/कार्यकारी प्रबन्धक, ()रा.रा.प.प. निगम, मु. जयपुर ।
- 5 महा प्रबन्धक (आई.टी.) निगम के वित्त विभाग की वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करावें ।
- 6 निगम सचिव, रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 7 मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0 कार्यशाला, रा.रा.प.प. निगम, ।
- 8 लेखाधिकारी() रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 9 मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त), रा.रा.प.प. निगम, ।
- 10 सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1(), रा.रा.प.प. निगम, मुख्यालय जयपुर ।
- 11 आदेश/रक्षित पत्रावली ।



महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)